

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 433 OF 2022

IN THE MATTER OF: -

PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS.


...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 19.12.2024	
2.	<u>ANNEXURE 1:</u> A True copy of the minutes of meeting dated 22.01.2025 And letter dated 24.01.2025	
3.	<u>ANNEXURE -2</u> A true copy of the Report of the Executive Engineer, Jal Nigam (U), Balarampur along with the photographs.	
4.	<u>ANNEXURE -3</u> A true copy of the report dated 10.02.2025 of Executive officer Nagar Palika parishad, Balrampur along with photographs.	

842

THROUGH



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 11.02.2025

PLACE: NOIDA



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 433 OF 2022

IN THE MATTER OF: -

PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT


VERSUS

STATE OF UP & ORS.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT-9, URBAN DEVELOPMENT
DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE
ORDER DATED 19.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I, Kalyan Banerjee, S/o Late Devi Dass Banerjee aged about 59 years, posted as Joint Secretary, U.P. do hereby solemnly affirm and state as under:



1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That the present O.A. pertains to the damage cause to the river Suav flowing in the district- Balarampur due to encroachment and discharge of sewage.

Sworn & verified
before me.
2/12/24
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

4. That I state that the above captioned matter is pending before the Hon'ble Tribunal and was last listed on 19.12.2024. The Hon'ble Tribunal passed the following order which is reproduced as below:-

".....1 Affidavit dated 18.12.2024 has been filed by Joint Secretary, Urban Development Department, State of Uttar Pradesh.


2. We have gone through the affidavit, and we find that the balance amount has not been released by the Director, Minority Welfare and Waqf Department, Directorate of Minority Welfare, Uttar Pradesh Lucknow.

3. In view of the nature of issues involved in the present case we consider presence of the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and Nagar Palika Parishad, Balrampur through its Executive Officer to be necessary for just and proper adjudication of the question involved in the case and accordingly the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and Nagar Palika Parishad, Balrampur through its Executive Officer are impleaded as respondents no. 8 to 10. The Registry is directed to amend memo of parties to the application.

4. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate accepts notice on behalf of Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh. Mr. Abhishek Yadav, Advocate accepts notice on behalf of Nagar Palika Parishad, Balrampur and they seek time to file their replies/responses.

5. Replies/responses be filed by Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and Nagar Palika Parishad, Balrampur at least three days before the next date of hearing.

6. The Registry is directed to issue notice to respondent no. 8- Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh requiring him to file his reply /response at least one week before the next date of hearing.



Sworn & verified
before me.

Amrish Kumar
AMRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII, Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

7. Further progress reports be also filed by the District Magistrate, Balrampur and the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Balrampur at least three days before the next date of hearing.

8. Respondent no. 7-Survey of India is also directed to submit its report expeditiously/within the timeline stipulated.

9. List on 13.02.2025 for further consideration.


10. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh, and District Magistrate, Balrampur physically or through VC on the next date of hearing to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly, they are directed to remain present before this Tribunal on that date.

11. A copy of this order be sent to the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and District Magistrate, Balrampur by email for requisite compliance."

5. It is most respectfully submitted that the department has the highest respect and regard to the order passed by this Hon'ble Tribunal and bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and direction passed by this Hon'ble Tribunal.

It is most respectfully submitted that the principal secretary, Urban Development, Department appeared before this hon'ble tribunal on previous date of hearing on 06.08.2024 through video conferencing. The principal secretary submitted that he would take immediate measures to cater the issue before this Hon'ble Tribunal.

It is humbly submitted that the department is taking the order the hon'ble tribunal seriously and a letter to the concerned was sent on 24.01.2025 Also, a meeting was convened on 22.01.2025 with the concerned officers. In the meeting strict direction were given to the concerned authorises to comply with the order of this Hon'ble Tribunal in true, letter and spirit.



Sworn & verified
before me.

21/2/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII, Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

A True copy of the minutes of meeting dated 22.1.2025 and letter dated 24.01.2025 are annexed herewith as Annexure- 1.

8. It is humbly submitted that A STP of 8.5 MLD under the scheme of PM Jan Vikas Karykram (Minorities department) is under construction. As per the report of Jal Nigam dated 7.02.2025, 80 percent work has been completed and remaining work will get completed after the availability of funds. Operative part of the report is produced hereunder-

बिन्दु	कार्यवृत्त	अनुपालन आख्या
1	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा रु. 238.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त कार्य की निविदा का कार्य उ.प्र. जल निगम (नगरीय) द्वारा त्वरित ढंग से पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co Treatment कार्य हेतु निविदा प्रथम बार निविदादाता न होने के कारण निरस्त की गई एवं उक्त कार्य हेतु द्वितीय बार निविदा दिनांक 18.01.2025 को आमंत्रित की जा चुकी है।
2	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरजे सिस्टम एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को युथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। आई.आई. टीकानपुर द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों की निराकरण आख्या प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित को उपलब्ध कराई जाए।	उक्त योजना के कार्यो स्वीकृत धनराशि रु. 12376.32 लाख के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि रु. 77.3520 करोड़ का शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र., 620-इन्दिरा भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। आई.आई. टी. कानपुर द्वारा बलरामपुर नगर पालिका परिषद सीवरजे सिस्टम एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य (फेज-1) के किये गये निरीक्षण में पाई गई कमियों की निराकरण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1394/कार्य-91/166 दिनांक 20.12.2024 द्वारा एवं कार्यालय पत्रांक 24/कार्य-91/01 दिनांक 08.01.2025 द्वारा



Sworn & verified
before me.

21/2/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

	उक्त का अनुस्मारक भी भेजा गया था। जिसके पश्चात् आई.आई.टी. कानपुर के प्रोफेसर द्वारा दिनांक 06.02.2025 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। जिसकी निरीक्षण आख्या शीघ्र ही प्रेषित किये जाने का आश्वासन दिया गया है।
--	---

A true copy of the Report of the Executive Engineer, Jal Nigam (U), Balarampur along with the photographs are attached herewith as Annexure-2.

9. It is relevant to mention here that in the financial year 2024-25, under Swachh Bharat Mission Nagari-2.0, funds have been released by giving administrative and financial approval of Rs. 238.18 lakh for the 20 KLD Co-Treatment work of Nagar Palika Parishad, Balarampur vide Government Order dated 02.01.2025. The tender of the said work is under process.
10. It is humbly submitted that on 10.02.2025 Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Balarampur, UP has submitted a report. The relevant part is below-mentioned-


क्रम संख्या	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	<p>वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय-2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा रु0 238.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त कार्य की निविदा का कार्य उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा त्वरित ढंग से पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।</p> <p>(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय- 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के - Co-Treatment कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है।</p>



Sworn & verified
before me.

12/2/25
AMRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII, Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

2	<p>नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में 01 एम०आर०एफ० और 02 कम्पोस्ट पिट (एक पूर्ण और एक निर्माणाधीन) हैं, जिन्हे प्रत्येक दशा में माह फरवरी 2025 तक जनउपयोगी बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।</p> <p>(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर)</p>	<p>सादर अवगत कराना है कि नगर सीमान्तर्गत मोहल्ला निबकौनी में एक अस्थायी एम०आर०एफ० सेन्टर (क्षमता 5 टन) का निर्माण कराते हुए Manually functional किया गया है तथा नगर पालिका के समस्त वार्डों में डोर-टू-डोर सूखा तथा गीला कूड़ा अलग-अलग कलेक्शन करके निस्तारित किया जाता है। नगर पालिका में कूड़ा बीनने वाले (waste picker) द्वारा सूखे कूड़े का कलेक्शन करते हैं, जिससे काफी मात्रा में कूड़े का निस्तारण होता है।</p> <p>एक अन्य एम०आर०एफ० सेन्टर के निर्माण हेतु शासन से धन आवंटित है जिसके सापेक्ष निविदा की कार्यवाही हो गयी है, कार्य प्रगति पर है। माह फरवरी 2025 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।</p> <p>नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में कुल 32 एम०टी० कूड़ा निकलता है जिसमें से लगभग 14.4 एम०टी० कूड़ा गीला होता है। उक्त गीले कूड़े के निस्तारण हेतु राज्य मिशन निदेशक (एस०बी०एम०) राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र० द्वारा तीन स्थानों पर पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट के निर्माण हेतु धनराशि (प्रत्येक पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट के लिए 39.88 लाख ₹) प्राप्त हुआ है।</p> <p>(1) वार्ड नं०-13 अंधियारीबाग में पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।</p> <p>(2) वार्ड नं०-03 खलवा दक्षिणी में निर्माण कार्य प्रगति पर है।</p> <p>(3) वार्ड नं०-07 अचलापुर में निर्माण कार्य प्रगति पर है।</p> <p>उक्त कार्य माह फरवरी 2025 तक पूर्ण हो जायेगा। नाली के जल को शुद्ध करने हेतु फाइटोरेमिडिएशन का कार्य कराया जा रहा है तथा अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल</p>
---	---	--



Sworn & verified
before me.

12/12/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII, Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

		<p>निगम (नगरीय) बलरामपुर को एस.बी.एम (नगरीय) 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।</p> <p>(फोटोग्राफ संलग्न है)</p>
3	<p>तुलसीपुर रोड के निकट अवस्थित एम०आर०एफ० प्लान्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ भूमि विवाद के कारण मा० उच्च न्यायालय द्वारा एम०आर०एफ० के कार्य पर रोक लगा दी गयी है। उक्त भूमि विवाद की प्रभावी पैरवी मा० उच्च न्यायालय में की जाए।</p> <p>(कार्यवाही: जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर)</p>	<p>उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है। कि नगर से जो प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट निकलता है उसका प्रबन्धन के लिए नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम०आर०एफ० सेन्टर का निर्माण हुआ था परन्तु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में Case:- CONSOLIDATION No.-17998 of 2021 (Indrajeet Tiwari Vs Dy. Director Of Consolidation, Balrampur & Ors.) पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-</p> <p>Till the next date of listing, par es shall maintain status quo as it exists today in respect of possession and also in respect of the entries in the revenue records.</p> <p>उक्त वाद में पालिका द्वारा काउंटर एफिडेविट दाखिल कराया जा चुका है। अगली सुनवाई की तिथि 13.02.2025 है। पालिका अधिवक्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय में उक्त केस में तिथि नियत करने हेतु Listing Application डाली जा रही है। उक्त वाद में पालिका द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है।</p>
4	<p>प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत / निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस०टी०पी० निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने के संबंध में</p>	<p>उक्त योजना के कार्यो स्वीकृत धनराशि रु. 12376.32 लाख के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि रु. 77.3520 करोड़ का शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र.,</p>



Sworn & verified
before me.

12/12/20
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII, Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

कार्यवाही की जाए। आईआईटी कानपुर द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों की निराकरण आख्या प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर संबंधित को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र०/आई०आई०टी०, कानपुर)


620-इन्दिरा भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। आई.आई.टी. कानपुर द्वारा बलरामपुर नगर पालिका परिषद सीवरेज सिस्टम एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य (फेज-१) के किये गये निरीक्षण में पाई गई कमियों की निराकरण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1394/कार्य-91/166 दिनांक 20.12.2024 द्वारा प्रोफेसर समित राय चौधरी, डीन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, आई.आई.टी. कानपुर को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही उक्त पत्र के माध्यम से पुनः परियोजना के निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाइन (एस०टी०पी०) की स्थापना।

1-उक्त योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18. 01.2019 एवं 31.03.2019 में जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाइन (एस०टी०पी०) की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया।

2-उक्त योजना में कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी० एण्ड डी०एस०) वि०/ यान्त्रिक नलकूप विंग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र०


3-जलनिगम (नगरीय) बलरामपुर के पत्र सं०-987, दिनांक 14.08.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के कम में कार्यालय के पत्र सं०-582, दिनांक 21.11. 2024 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सरवरेज सिस्टम एवं एस०टी०पी० निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु अवशेष



Sworn & verified
before me.

12/2/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Gang, Rajiya
Adampur Janubi, Lucknow

		<p>धनराशि रू0 4641.12 लाख अवमुक्त कराने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।</p> <p>4-जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-623. दिनांक 13.12.2024 के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 3970 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए एस०टी०पी० निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी संस्था आई०आई०टी० कानपुर द्वारा की गयी जाँच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए सम्बन्धित थर्ड पार्टी संस्था से सत्यापन भी कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं निराकरण आख्या अद्यतन अप्राप्त है।</p>
5	<p>विषयगत वाद में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-</p> <p>"-10. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and District Magistrate, Balrampur physically or through VC on the next date of hearing to be essential for assisting this Tribunal In just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date.</p>	<p>अनुपालन किया जा रहा है।</p>



Sworn & verified
before me.

12/12/24
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur Janubi, Lucknow

	List on 13.02.2025 for further consideration. उक्त वाद में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्ण कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायें। (कार्यवाही: समस्त संबंधित)	
6	संबंधित अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह विषयगत प्रकरण की मॉनीटरिंग / स्थलीय निरीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए। (कार्यवाही: समस्त संबंधित)	अनुपालन किया जा रहा है।

A true copy of the report dated 10.02.2025 of Executive officer Nagar Palika Parishad along with photographs is annexed herewith as Annexure-3

11. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.
12. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
11.02.2025

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 11th day of February 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


[Signature]
11.02.2025

DEPONENT

Sworn & verified
before me.

[Signature]
12/12/25
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Bahiya
Rampur Janubi, Lucknow

[Signature]
12/02/25
Identify the deponent/executant who
has signed about T.I. box



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न विवरण के अनुसार।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त सम्पन्न बैठक में सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

(1)- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्ड हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा रू0 238.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त कार्य की निविदा का कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा त्वरित ढंग से पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

(2)- नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में 01 एम0आर0एफ0 और 02 कम्पोस्ट पिट (एक पूर्ण और एक निर्माणाधीन) हैं, जिन्हें प्रत्येक दशा में माह फरवरी 2025 तक जनउपयोगी बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर)

(3)-तुलसीपुर रोड के निकट अवस्थित एम0आर0एफ0 प्लान्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ भूमि विवाद के कारण, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0आर0एफ0 के कार्य पर रोक लगा दी गयी है। उक्त भूमि विवाद की प्रभावी पैरवी मा0 उच्च न्यायालय में की जाए।

(कार्यवाही: जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर)

(4)- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। आईआईटी कानपुर द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों की निराकरण आख्या प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर संबंधित को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0/आई0आई0टी0, कानपुर)

(5)– विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

"---10. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and District Magistrate, Balrampur physically or through VC on the next date of hearing to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date.---"

List on 13.02.2025 for further consideration.

उक्त वाद में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही: समस्त संबंधित)

(6)–संबंधित अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह विषयगत प्रकरण की मॉनीटरिंग/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही: समस्त संबंधित)

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

आज्ञा से, 01.02.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या:एन0जी0टी0- 36 / नौ-5-2025-18रिट / 2024
लखनऊ:: दिनांक 24 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 5-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0
- 6-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 7-जिलाधिकारी, बलरामपुर।
- 8-मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 9-अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।
- 10-अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
- 11-श्री नीरज कुमार, अधिकासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 12-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 13-श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 14-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
24.01.2025
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), बलरामपुर
मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फेसिंग का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या




बिन्दु	कार्यवृत्त	अनुपालन आख्या
1	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा रु. 238.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त कार्य की निविदा का कार्य उ.प्र. जल निगम (नगरीय) द्वारा त्वरित ढंग से पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है।
4	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। आई.आई.टी. कानपुर द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों की निराकरण आख्या प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित को उपलब्ध कराई जाए।	उक्त योजना के कार्यों स्वीकृत धनराशि रु. 12376.32 लाख के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि रु. 77.3520 करोड़ का शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र., 620-इन्दिरा भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। आई.आई.टी. कानपुर द्वारा बलरामपुर नगर पालिका परिषद सीवरेज सिस्टम एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य (फेज-1) के किये गये निरीक्षण में पाई गई कमियों की निराकरण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1394/कार्य-91/166 दिनांक 20.12.2024 द्वारा प्रोफेसर समित राय चौधरी, डीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, आई.आई.टी. कानपुर को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही उक्त पत्र के माध्यम से पुनः परियोजना के निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।


अधिशासी अभियन्ता

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद मुख्यालय बलरामपुर में
सीवर लाईन (एस0टी0पी0) की स्थापना।

- 1- उक्त योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.03.2019 में जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाइन (एस0टी0पी0) की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया।
- 2- उक्त योजना में कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) वि0/यान्त्रिक नलकूप विंग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जलनिगम (नगरीय) बलरामपुर के पत्र सं0-987, दिनांक 14.08.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में कार्यालय के पत्र सं0-582, दिनांक 21.11.2024 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सरवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु अवशेष धनराशि रू0 4641.12 लाख अवमुक्त कराने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।
- 4- जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-623, दिनांक 13.12.2024 के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 3970 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए एस0टी0पी0 निर्माण कार्यो की थर्ड पार्टी संस्था आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा की गयी जाँच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए सम्बन्धित थर्ड पार्टी संस्था से सत्यापन भी कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है निराकरण आख्या अद्यतन अप्राप्त है।


 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
 बलरामपुर



कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक-1245/न0पा0परि0(बल0)/2024-25

दिनांक 10-02-2025

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग-5
लखनऊ।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5 संख्या-एन0जी0टी0-36/नौ-5-2025-18रिट/2024 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न हुई बैठक में सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

क्र0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय-2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा रू0 238.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। उक्त कार्य की निविदा का कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा त्वरित ढंग से पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए। (कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में 01 एम0आर0एफ0 और 02 कम्पोस्ट पिट (एक पूर्ण और एक निर्माणाधीन) है, जिन्हे प्रत्येक दशा में माह फरवरी 2025 तक जनउपयोगी बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। (कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय)/जिलाधिकारी,बलरामपुर/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर)	सादर अवगत कराना है कि नगर सीमान्तर्गत मोहल्ला निबकौनी में एक अस्थायी एम0आर0एफ0 सेन्टर (क्षमता 5 टन) का निर्माण कराते हुए Manually functional किया गया है तथा नगर पालिका के समस्त वार्डों में डोर-टू-डोर सूखा तथा गीला कूड़ा अलग-अलग कलेक्शन करके निस्तारित किया जाता है। नगर पालिका में कूड़ा बीनने वाले (waste picker) द्वारा सूखे कूड़े का कलेक्शन करते हैं, जिससे काफी मात्रा में कूड़े का निस्तारण होता है। एक अन्य एम0आर0एफ0 सेन्टर के निर्माण हेतु

10.2.2025

		<p>शासन से धन आवंटित है जिसके सापेक्ष निविदा की कार्यवाही हो गयी है, कार्य प्रगति पर है। माह फरवरी 2025 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।</p> <p>नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में कुल 32 एम0टी0 कूड़ा निकलता है जिसमे से लगभग 14.4 एम0टी0 कूड़ा गीला होता है। उक्त गीले कूड़े के निस्तारण हेतु राज्य मिशन निदेशक (एस10वी0एम0) राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा तीन स्थानों पर पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट के निर्माण हेतु धनराशि (प्रत्येक पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट के लिए 39.88 लाख रू0) प्राप्त हुआ है।</p> <p>(1) वार्ड नं0-13 अधियासीबाग में पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।</p> <p>(2) वार्ड नं0-03 खलवा दक्षिणी में निर्माण कार्य प्रगति पर है।</p> <p>(3) वार्ड नं0-07 अचलापुर में निर्माण कार्य प्रगति पर है।</p> <p>उक्त कार्य माह फरवरी 2025 तक पूर्ण हो जायेगा।</p> <p>नाली के जल को शुद्ध करने हेतु फाइटोरेमिडिएशन का कार्य कराया जा रहा है तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) बलरामपुर को एस.बी.एम (नगरीय) 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।</p> <p>(फोटोग्राफ संलग्न है)</p>
3	<p>तुलसीपुर रोड के निकट अवस्थित एम0आर0एफ0 प्लान्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ भूमि विवाद के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एम0आर0एफ0 के कार्य पर रोक लगा दी गयी है। उक्त भूमि विवाद की प्रभावी पैरवी मा0 उच्च न्यायालय में की जाए।</p> <p>(कार्यवाही: जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर)</p>	<p>उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर से जो प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट निकलता है उसका प्रबन्धन के लिए नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण हुआ था परन्तु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में Case:- CONSOLIDATION No.-17998 of 2021 (Indrajeet Tiwari Vs Dy. Director Of Consolidation, Balrampur & Ors.) पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-</p> <p>Till the next date of listing, parties shall maintain status quo as it exists today in respect of possession and also in respect of the entries in the revenue records.</p> <p>उक्त वाद में पालिका द्वारा काउंटर एफिडेविट दाखिल कराया जा चुका है। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 13.02.2025 है। पालिका अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में उक्त केस में तिथि नियत करने हेतु Listing Application डाली जा रही है। उक्त वाद में पालिका द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है।</p>
4	<p>प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस10टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को</p>	<p>उक्त योजना के कार्यों स्वीकृत धनराशि रु. 12376.32 लाख के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि रु. 77.3520 करोड़ का शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र., 620-इन्दिरा भवन, लखनऊ</p>

10.02.2025

<p>यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। आईआईटी कानपुर द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों की निराकरण आख्या प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर सबधित को उपलब्ध करायी जाए।</p> <p>(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र०/आई०आई०टी०, कानपुर)</p>	<p>को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।</p> <p>आईआईटी. कानपुर द्वारा बलरामपुर नगर पालिका परिषद सीवररेज सिस्टम एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य (फ्रेज-1) के किये गये निरीक्षण में पाई गई कमियों की निराकरण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1394/कार्य-91/166 दिनांक 20.12.2024 द्वारा प्रोफेसर समित राय चौधरी, डीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, आईआई. टी. कानपुर को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही उक्त पत्र के माध्यम से पुनः परियोजना के निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाईन (एस०टी०पी०) की स्थापना।</p> <p>1- उक्त योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.03.2019 में जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाइन (एस०टी०पी०) की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया।</p> <p>2- उक्त योजना में कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी० एण्ड डी०एस०) वि०/यान्त्रिक नलकूप विंग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया।</p> <p>3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जलनिगम (नगरीय) बलरामपुर के पत्र सं०-987, दिनांक 14.08.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में कार्यालय के पत्र सं०-582, दिनांक 21.11.2024 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सरवररेज सिस्टम एवं एस०टी०पी० निर्माण कार्य (फ्रेज-1) हेतु अवशेष धनराशि रू० 4641.12 लाख अवमुक्त कराने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।</p> <p>4- जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-623, दिनांक 13.12.2024 के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 3970 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए एस०टी०पी० निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी संस्था आई०आई०टी० कानपुर द्वारा की गयी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए सम्बन्धित थर्ड पार्टी संस्था से सत्यापन भी कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है निराकरण आख्या अद्यतन अप्राप्त है।</p>
<p>5 विषयगत वाद में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-</p> <p>"---10. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Additional Chief Secretary, Minority Welfare and Waqf Department,</p>	<p>अनुपालन किया जा रहा है।</p>

11.02.2025

<p>Government of Uttar Pradesh; Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh and District Magistrate, Balrampur physically or through VC on the next date of hearing to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date. List on 13.02.2025 for further consideration. उक्त वाद में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त आवश्यक कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्ण कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायें। (कार्यवाही: समस्त संबंधित)</p>	
<p>6 संबंधित अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह विषयगत प्रकरण की मॉनीटरिंग/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए। (कार्यवाही: समस्त संबंधित)</p>	<p>अनुपालन किया जा रहा है।</p>

अतः अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

13.02.2025
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
3. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) महोदय, बलरामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) बलरामपुर।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर


तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण का फोटोग्राफ



10.02.2025

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर


तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण का फोटोग्राफ



10.02.2025

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण का फोटोग्राफ




10.02.2025

866

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वार्ड नं0 03 खलवा दक्षिणी में एम0आर0एफ0 सेन्टर 2 का निर्माण कार्य
प्रगति का फोटोग्राफ




11.02.2025

867

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वार्ड नं0 03 खलवा दक्षिणी में वेट वेस्ट प्लान्ट निर्माण कार्य
प्रगति का फोटोग्राफ



10.02.2025

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वाडों में डोर दू डोर कूड़ा निस्तारण का फोटोग्राफ



10.02.2025

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वार्डों में डोर दू डोर कूड़ा निस्तारण का फोटोग्राफ



10.02.2025

870

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वार्डों में डोर दू डोर कूड़ा निस्तारण का फोटोग्राफ




10.02.2025

871

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वाडों में डोर दू डोर कूड़ा निस्तारण का फोटोग्राफ




10.02.2025

872

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वार्ड नं0 13 अंधियारीबाग में पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट का निर्माण फोटोग्राफ




10.02.2025

873

आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

वार्ड नं० 13 अधियारीबाग में पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट का निर्माण फोटोग्राफ



10.02.2025